

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/137/2015-1/455/2014 लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2015

विषय: अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत निर्मल भारत अभियान नया नाम स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्यांश मद में रू0-739.218 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-8/2015/330/33-3-2015-48/2014 दिनांक 16 फरवरी, 2015 ( छायाप्रति संलग्न ) द्वारा निर्मल भारत अभियान नया नाम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि रू0-55685.00 लाख के सापेक्ष राज्यांश मद में रू0-739.218 लाख (रूपया सात करोड़ उनतालीस लाख इक्कीस हजार आठ सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5- भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ0प्र0 स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस0एस0एम0) के नाम से खोले गये खाता संख्या-52302010060034 आईएफ0एस0सी0 कोड यू0बी0आई0एन0-0552135 में जमा किया जायेगा।

6- भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

7- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-06-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-0601-स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना) (के.75+रा.25/के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008- मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10- उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

11- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

12- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-88 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1/शा0/137/1/2015 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय ( लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- उप निदेशक(पं0) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी(मु0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 7- एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

( महेन्द्र नारायण )

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।



## Print Report

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-19/02/2015

प्रेषण संख्या:- 1-sha-137-2015-1-455-2014  
 आवंटन आदेश संख्या:- 002-455-2014  
 अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)  
 लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज  
 06 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
 01 - स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी 73921800 1182749300	73921800 1182749300
	योग	वर्तमान प्रगामी 73921800 1182749300	73921800 1182749300

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रुपया सात करोड़ उनचासीस लाख इक्कीस हजार आठ सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया एक अरब अठारह करोड़ सत्ताइस लाख उनचास हजार तीन सौ

(महेन्द्र नारसिण)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रेषक,  
विमल चन्द्र श्रीवास्तव  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
पंचायती राज,  
30प्र0, लखनऊ।  
पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2015

विषय- अनुदान संख्या- 14 अन्तर्गत निर्मल भारत अभियान नया नाम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्यांश मद में ₹0 739.218 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या- 5/234/2014-5/53/2014, दिनांक 30 जनवरी, 2015, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 तथा शासनादेश संख्या-68/33-3-2015-48/2014, दिनांक 16.01.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 14 में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 55685.00 लाख में से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश मद की अवशेष धनराशि ₹0 739.218 लाख (₹0 सात करोड उनतालिस लाख इक्कीस हजार आठ सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यापल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों /नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनार्य परीक्षण /सत्यापन हेतु पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(5) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में 30प्र0 स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस0एस0एम0) के नाम से खोले गये खाता संख्या- 52302010060034 आई0एफ0एस0सी0 कोड यू बी आई एन 0552135 में जमा किया जायेगा।



(6) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

(7) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101- पंचायती राज-06- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) -0601-स्वच्छ शौचालय का निर्धारण(जि0यो0)(के75रा25-के रा) -20-सहायक अनुदान-सा0(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

2- यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई-2-122 /दस-2015 दिनांक 11.02.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( विमल चन्द्र श्रीवास्तव )  
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी 30प्र0।
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 6- एन0आई0सी0 की प्रति।
- 7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त( बजट) अनुभाग-2
- 8- गाई फाइल।

आज्ञा से,

( एस0पी0 सिंह )  
अनु सचिव।

13

सि  
परा-1/2015